

न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड (म0प्र0)

(समक्ष:-उमेश पाण्डव)

सीआईएस0 नं0-230301001262007

सत्र प्र0कं0-227 / 2007संस्थापन दिनांक 17-12-2007

(1) म0प्र0 शासन द्वारा:-

थाना देहात जिला भिण्ड (म0प्र0)

----- अभियोजन

विरुद्ध(1) सतेन्द्रसिंह पुत्र उम्मेद सिंह तोमर
उम्र-34 वर्ष,(2) किशनसिंह उर्फ कृष्णा फौजी पुत्र
योगेन्द्र सिंह राजावत् उम्र-32 वर्ष,(3) ओमकारसिंह पुत्र उम्मेद सिंह तोमर
उम्र-42 वर्ष निवासीगण शिवाजी नगर
भिण्ड (म0प्र0)

-----अभियुक्तगण

न्यायालय:-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड (श्री ए0के0 छापरिया)
के प्र0कं0-872/07 ई0फौ0 में पारित कमिटल आदेश दिनांक
04-12-07 से उत्पन्न।

राज्य द्वारा श्री रवीन्द्र मुद्गल अपर लोक अभियोजक ।
अभियुक्त सतेन्द्रसिंह एवं ओमकारसिंह द्वारा श्री भानुप्रताप शर्मा एड0 ।
अभियुक्त किशनसिंह उर्फ कृष्णा फौजी द्वारा श्री नीरजश्रीवास्तव एड0 ।

::- नि र्ण य -::

(आज दिनांक 28-10-2017 को घोषित)

1- अभियुक्तगण पर भा0दं0सं0 की धारा 147 एवं
302/149 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि,
अभियुक्तगण ने दिनांक 06-03-2007 को अपराह्न लगभग 03:15 बजे
सुभाष चौराहा भिण्ड पर सह अभियुक्तगण के साथ फरियादी दीपू

चौहान के प्रति हिंसा के सामान्य उद्देश्य से एकत्रित होकर आपराधिक जमाव का गठन किया जिसके सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में हिंसा कर बलवा किया तथा अभियुक्तगण ऐसे आपराधिक जमाव के सदस्य थे जिसके सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में दीपू चौहान पुत्र यशपालसिंह चौहान को साशय अथवा सज्ञान तथा ऐसी परिस्थितियों में उपहति कारित की जिनसे उसकी मृत्यु हुई, इस प्रकार अभियुक्तगण ने हत्या की कोटि में आने वाला सदोष मानव वध किया।

2— प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि, आदेश पत्रिका दिनांक 26-10-15 के द्वारा सह अभियुक्त **गोविंदसिंह पुत्र उम्मेद सिंह तोमर** का प्रकरण धारा 317(2) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत अन्य अभियुक्तगण के प्रथक किया गया है तथा आदेश पत्रिका दिनांक 13-04-16 के द्वारा उक्त अभियुक्त को फरार घोषित किया जाकर उसके विरुद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी किये जाने का आदेश दिया गया है। प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि, आदेश पत्रिका दिनांक 25-04-12 के द्वारा सह अभियुक्त **लक्ष्मणसिंह पुत्र उम्मेद सिंह तोमर** की दिनांक 29-10-11 को मृत्यु हो जाने से उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त की गई है।

3— अभियोजन घटना का सार इस प्रकार है कि, दिनांक 06-03-07 को अपरान्ह 03:15 बजे फरियादी दीपू चौहान भारौली बायपास रोड सुभाष चौराहे के पास अपने गाँव आने के लिये बस का इंतजार कर रहा था तभी बस स्टैण्ड तरफ से लक्ष्मण तोमर, सतेन्द्र, गोविन्द एवं ओमकार मोटरसाईकिल से आये तथा फरियादी की बगल से घिसटकर मोटरसाईकिल निकाली। फरियादी के यह कहने पर कि अंकलजी दिखता नहीं है तो वह लोग फरियादी को गालियाँ देने लगे, मना करने पर लक्ष्मण व सतेन्द्र दौड़कर हॉकी ले आये तथा फरियादी की मारपीट करने लगे तथा फरियादी के शरीर में दोनों हाथों, बाये पैर के घुटने में व पीठ में लगातार हॉकी से मारा तब-तक फौजी भी आ गया जिसने लात-घूसों से मारपीट की। मौके पर मोनू तथा अमरसिंह आ गये जिन्होंने घटना देखी है। फरियादी दीपू चौहान के द्वारा घटना दिनांक को ही 16:30 बजे थाना देहात में रिपोर्ट लिखाई गई जो अदम चैक कं0-127/07 धारा 323, 504 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दर्ज की गई तथा फरियादी का चिकित्सा परीक्षण एवं एक्सरे परीक्षण कराया गया जिसमें आहत के हाथ में अस्थि भंग पाये जाने पर दिनांक 07-03-07 को 21:40 बजे पुलिस थाना देहात पर अप0कं0-53/07 अन्तर्गत धारा 325, 323, 504, 34 भा0दं0सं0 पंजीबद्ध किया गया।

4— फरियादी दीपू चौहान को जिला चिकित्सालय भिण्ड से ग्वालियर रैफर किया गया तथा जे0ए0एच0 ग्वालियर में इलाज के दौरान दिनांक 08-03-07 को फरियादी की मृत्यु हो गई जिसकी सूचना कम्पू थाना ग्वालियर भेजी गई जिस पर से मर्ग कं0-104/07 धारा 174 दं0प्र0सं0 कायम किया गया तत्पश्चात् मृतक का सफीना फार्म जारी कर नक्शा पंचायतनामा तैयार किया गया तथा मृतक का पोस्टमार्टम जे0ए0एच0 ग्वालियर में कराया गया जहाँ से मृतक का दो डिब्बा विसरा सीलबंद, एक सीलबंद कपड़ों की पोटीली, एक नमक का घोल, एक सील नमूना प्राप्त होने पर कम्पू पुलिस ग्वालियर के द्वारा उन्हें जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया तत्पश्चात् पुलिस थाना कम्पू द्वारा उक्त समस्त दस्तावेज पुलिस थाना भिण्ड भेजे गये जिस पर पुलिस थाना देहात में असल मर्ग कं0-18/07 कायम किया गया। अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया तथा अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामे बनाये गये तथा अभियुक्त सतेन्द्रसिंह एवं लक्ष्मण के आधिपत्य से एक-एक हॉकी लकड़ी की जप्त कर जप्ती पंचनामे बनाये गये। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये जिसके पश्चात् शेष औपचारिक अनुसंधान सम्पूर्ण कर धारा 302 भा0दं0सं0 की अभिवृद्धि करते हुये अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक 04-08-07 को अभियोगपत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहाँ से प्रकरण दिनांक 04-12-07 को माननीय सत्र न्यायालय को उपापित किया गया तथा दिनांक 17-12-07 को विचारण हेतु इस न्यायालय को अंतरित किया गया।

5— विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण पर भा0दं0सं0 की धारा 147 एवं 302/149 के अन्तर्गत आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने जुर्म करना अस्वीकार किया गया तथा विचारण चाहा। प्रकरण के विचारण के दौरान साक्ष्य अंकित की गई। अभियोजन साक्ष्य के पश्चात् अभियुक्तगण का धारा 313 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत कथन प्राप्त किया गया जिसमें अभियुक्तगण का कहना है कि, वह निर्दोष हैं उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण की ओर से स्वयं के बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

6— प्रकरण के निराकरण के लिये मुख्य विचारणीय प्रश्न यह हैं कि:—

- (1) क्या मृतक दीपू चौहान की मृत्यु आपराधिक मानव वध स्वरूप की है ?

- (2) क्या अभियुक्तगण के द्वारा दिनांक 06-03-2007 को अपरान्ह लगभग 03:15 बजे सुभाष तिराहा भिण्ड पर सह अभियुक्तगण के साथ फरियादी दीपू चौहान के प्रति हिंसा के सामान्य उद्देश्य से एकत्रित होकर आपराधिक जमाव का गठन किया जिसके सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में हिंसा कर बलवा किया ?
- (3) क्या अभियुक्तगण दिनांक 06-03-2007 को अपरान्ह लगभग 03:15 बजे सुभाष तिराहा भिण्ड पर ऐसे आपराधिक जमाव के सदस्य थे जिसके सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में दीपू चौहान पुत्र यशपालसिंह चौहान को साशय अथवा सज्ञान तथा ऐसी परिस्थितियों में उपहति कारित कीं जिनसे उसकी मृत्यु हुई, इस प्रकार अभियुक्तगण ने हत्या की कोटि में आने वाला सदोष मानव वध किया ?

::- निष्कर्ष एवं उसके आधार -::

विचारणीय बिन्दु कं0-1 :-

7- अभियुक्तगण पर भा0दं0सं0 की धारा 302/149 के अन्तर्गत दीपू चौहान की हत्या करने का आक्षेप है। इस आक्षेप के संदर्भ में सर्वप्रथम इस तथ्य की विवेचना किया जाना आवश्यक होगा कि, क्या दीपू चौहान की मृत्यु हो गई है और उसकी मृत्यु की प्रकृति क्या थी। इस संदर्भ में अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उसमें मृतक के भाई मोनू (अ0सा0-3) का कहना है कि, वह मृतक के साथ भिण्ड अस्पताल गया था उसके बाद वह ग्वालियर अस्पताल गया था जहाँ वह खत्म हो गया, उसका ग्वालियर में पोस्टमार्टम हुआ था। साक्षी इन्द्रपालसिंह कुशवाह (अ0सा0-5) का कहना है कि, दीपू के झगड़े के बारे में थाने में रिपोर्ट हुई थी, दीपू को उन्होंने अस्पताल में भर्ती कराया था अधिक तबियत खराब होने पर दीपू की माँ और भाई उसे ग्वालियर ले गये थे वहाँ इलाज के दौरान दूसरे-तीसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने उसके सामने सफीना फार्म प्र0पी0-8 बनाया था और दीपू की लाश का पंचायतनामा प्र0पी0-9 तैयार किया था।

8- गौरीशंकर पाराशर (अ0सा0-7) का कहना है कि, दिनांक 06-03-07 को फरियादी दीपू (मृतक) द्वारा अभियुक्तगण लक्ष्मण, सतेन्द्र, गोविन्द, ओमकार के विरुद्ध सुभाष चौराहे के पास मारपीट की रिपोर्ट लिखाई थी जिस पर से इस साक्षी ने प्र0पी0-13

की अदम चैक कं0-127/07 दर्ज की थी। दिनांक 08-03-07 को कम्पू थाना ग्वालियर से आरक्षक कं0-118 नाथूसिंह द्वारा मृतक दीपू पुत्र यशपाल सिंह चौहान की मृत्यु की मर्ग केस डायरी लाकर पेश की थी जिस पर से उसके द्वारा थाना देहात पर असल मर्ग कं0-18/07 धारा 174 दं0प्र0सं0 प्र0पी0-14 दर्ज किया था।

9— इस संबंध में चिकित्सक साक्षी डॉ0 आर0एन0 राजौरिया (अ0सा0-1) का कहना है कि, वह दिनांक 06-03-07 को जिला चिकित्सालय भिण्ड में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना देहात का आरक्षक रतन कुमार कं0-466 प्र0पी0-1 के आवेदन सहित आहत दीपू पुत्र यशपालसिंह चौहान को इलाज हेतु लेकर आया था जिसका परीक्षण करने पर निम्नलिखित चोटें पाई थीं—

- (1) कन्ट्यूजन 5X2 से0मी0 बाईं भुजा में मध्य भाग में तिर्यक स्थिति में उपस्थित था जिस पर 1X1 से0मी0 की खरोंच भी मौजूद थी। चोट का रंग काला था जिसके संबंध में एक्सरे की सलाह दी गई थी।
- (2) खरोंच 1½X1 से0मी0 अग्रभुजा में बाहरी दिशा में ऊपर की ओर लाल रंग में मौजूद थी जिसे छूने पर दर्द की प्रतिक्रिया होती थी।
- (3) दाहिनी अग्रभुजा में बाहरी दिशा में लालिमायुक्त 3-4 कन्ट्यूजन जिनमें प्रत्येक का आकार 3X2 से0मी0 था, सभी तिर्यक स्थिति में थे और चोट वाले हिस्से में छूने पर दर्द की प्रतिक्रिया होती थी जिसके लिये एक्सरे की सलाह दी गई थी
- (4) कन्ट्यूजन 4X2 से0मी0 दाहिनी भुजा के निचले भाग में बाहर की ओर तिर्यक स्थिति में लाल रंग में मौजूद था तथा छूने पर भुजा एवं कोहनी में दर्द की प्रतिक्रिया होती थी जिसके लिये एक्सरे की सलाह दी थी।
- (5) खरोंच 1½X1 से0मी0 बाये पैर में घुटने के ठीक नीचे लाल रंग में मौजूद थी जिसे छूने पर दर्द की प्रतिक्रिया होती थी। बाये घुटने सहित पैर के एक्सरे की सलाह दी थी।

(6) खरोंच 1X1 से0मी0 दाहिने घुटने पर बाहर की ओर लालिमायुक्त मौजूद थी तथा उस हिस्से में छूने पर दर्द की प्रतिक्रिया होती थी।

(7) पीठ में लगभग 10-12 कन्ट्यूजन 8 से0मी0 से 2½ से0मी0 के मध्य के आकार के मौजूद थे जो कि, तिर्यक स्थिति में थे तथा भिन्न-भिन्न दिशाओं में स्थित थे, सभी के रंग लाल थे जिन्हें छूने पर दर्द की प्रक्रिया होती थी। इस संबंध में पीठ सहित छाती के एक्सरे की सलाह दी थी।

10- डॉ0 आर0एन0 राजौरिया (अ0सा0-1) का यह भी कहना है कि, आहत की सभी चोटें कड़ी व भौथरी वस्तु से आई होकर जॉच से 8 घण्टे के भीतर की थीं जिसका प्रतिवेदन प्र0पी0-2 है। साक्षी का कहना है कि, उसने मरीज को शल्य चिकित्सा कक्ष में भर्ती किया था जहाँ उपस्थित चिकित्सक द्वारा भी उसकी जॉच की गई थी, उस दौरान आहत को अर्द्धमूर्च्छा में पाकर उसके इलाज के पर्चे पर सिर के एक्सरे की सलाह लिखी गई थी जिसकी सूचना साक्षी को प्राप्त होने पर उक्त इलाज के पर्चे के आधार पर उसके द्वारा आहत के सिर के एक्सरे का पर्चा प्र0पी0-3 तैयार किया था।

11- डॉ0 एस0सी0 गुप्ता (अ0सा0-4) द्वारा दिनांक 07-03-07 को जिला चिकित्सालय भिण्ड में एक्सरे प्रभारी के पद पर पदस्थ होते हुये आहत(मृतक) दीपू पुत्र यशपाल जिसे डॉ0 जे0पी0एस0 कुशवाह द्वारा एक्सरे परीक्षण हेतु रेफर किया गया था, की दाहिनी अग्रभुजा, कलाई, सिर व बाये कंधे का एक्सरे परीक्षण किये जाने पर उसकी दाहिनी अग्रभुजा की अलना अस्थि में मध्य तिहाई व निचले तिहाई के बीच में अस्थि भंग होना पाया था जिसकी एक्सरे रिपोर्ट प्र0पी0-6 एवं एक्सरे प्लेट प्र0पी0-7 है। इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण अनुसार उसने आहत के कंधे की एक्सरे प्लेट प्र0डी0-1 एवं सिर के एक्सरे की प्लेट प्र0डी0-2 व डी0-3 तैयार की थीं और उसने आहत के सिर के दो एवं कंधे के एक एक्सरे में कोई अस्थि भंग नहीं पाया था।

12- डॉ0 जे0एन0 सोनी (अ0सा0-8) द्वारा मृतक का शव परीक्षण किया गया है। दिनांक 08-03-07 को जी0आर0 मेडीकल कॉलेज ग्वालियर के फौरेंसिक मेडिसिन विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत था। उक्त दिनांक को कम्पू थाने का आरक्षक

जितेन्द्रसिंह नं0-1551 उसके पास मृतक दीपू चौहान पुत्र यशपाल सिंह चौहान को लेकर आया था। मृतक की बाई अग्रभुजा पर ऑईलबंधु गुदा हुआ था जिसके शव का बाह्य परीक्षण करने पर मृतक सामान्य कदकाठी का करीब 18 वर्षीय पुरुष था जो चड्डी पहने हुये था, चड्डी मल से सनी थी। मृतक की आँखे, मुँह बंद था, मुट्ठी अधखुली और पैर के पजे सामान्य थे। मृतक के गले में सामने इलाज के दौरान श्वास नली में छेद बनाया हुआ था। मृत्यु पश्चात् अकड़न शरीर में सब जगह पाई गई थी और मृत्यु पश्चात् खून पीठ पर जमा हो गया था। मृतक के शरीर पर मृत्यु पूर्व निम्न चोटें पाई गई थीं—

- (1) दाहिने घुटने के बगल में बाहर की तरफ 1X1 से0मी0 की रगड़ थी
- (2) दाहिने घुटने के ऊपर अंदर की तरफ 1X1 से0मी0 की रगड़ थी।
- (3) बाये घुटने के नीचे 2X1 से0मी0 की आड़ी रगड़।
- (4) दाहिनी अग्रभुजा के लगभग मध्य में 4X0.5से0मी0 की खड़ी रगड़ थी।
- (5) दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली के तल पर 0.5 से0मी0 की रगड़ थी।
- (6) बाई कोहनी के बाहर की तरफ ऊपर 1X0.5से0मी0 की रगड़ थी जिसके चारों तरफ 19X4 से0मी0 में लाल रंग की मुंदी चोट थी।
- (7) बाये हाथ की अनामिका अंगुली के ऊपर 0.5से0मी0 की गोलाकार रगड़ थी।
- (8) दाहिनी कोहनी से 4 से0मी0 नीचे 2X1 से0मी0 की खड़ी रगड़ थी।
- (9) बाई तरफ ईलियक हड्डी के सामने के कोने पर 4X3से0मी0 की लाल नीलेपन लिये मुंदी चोट थी।

13— डॉ0 जे0एन0 सोनी (अ0सा0-8) ने आगे बताया है कि, मृतक का आंतरिक परीक्षण करने पर मृतक के सिर की चमड़ी के नीचे पिछले आधे भाग में खून जमा था। एक अस्थि भंग बाई तरफ पैराईटल हड्डी के उभार से नीचे सामने की तरफ 6 से0मी0 लम्बा था। मस्तिष्क की विभिन्न झिल्लियों के नीचे खून जमा था। श्वासनली लालिमा लिये हुये थी। हृदय में दाहिनी तरफ खून था, बाई तरफ खाली था। आमाशय में 20 सी0सी0 लसलसा पानी जैसा पदार्थ था और उसकी दीवार सामान्य थी। यकृत, प्लीहा, गुर्दा लालिमा लिये हुये स्वस्थ थे। साक्षी ने शव परीक्षण के समय मृतक के कपड़े और दो

बोतल में बिसरा रासायनिक परीक्षण हेतु सीलबंद कर संबंधित आरक्षक को दिये थे जिसके तारतम्य में जितेन्द्रसिंह (अ0सा0-12) का कहना है कि, वह दिनांक 10-03-07 को थाना कम्पू के अन्तर्गत जे0ए0एच0 चौकी ग्वालियर में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को चौकी पर मृतक के कपड़ों की पोटली, बिसरा की दो बोतल, सील नमूना एवं एक नमक घोल चिकित्सक द्वारा राजीव गुप्ता दरोगाजी को दिये गये थे जिन्हें दरोगाजी ने उसके समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी0-19 तैयार किया था।

14— डॉ0 जे0एन0 सोनी (अ0सा0-8) द्वारा उपरोक्त शव परीक्षण के पश्चात् मृतक की मृत्यु के संबंध में यह अभिमत दिया था कि, मृतक की मृत्यु उसके सिर पर आई चोट के कारण श्वसन तंत्र का काम करना बंद करने से हुई थी। चोट सख्त एवं भौथरे हथियार से पहुँचाई गई थी जो मृत्यु के समय से 24 घण्टे के अंदर की थी। सिर पर पाई गई चोट प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त थी। मृतक दीपू की मृत्यु शव परीक्षण के समय से 6 से 24 घण्टे के अंदर होना प्रतीत होती थी जो मानव वध प्रकृति की थी जिसके संबंध में रिपोर्ट प्र0पी0-15 साक्षी द्वारा दी गई है।

15— अभियोजन साक्ष्य में जो मृतक दीपूसिंह की मृत्यु सिर में आई चोट के कारण श्वसन तंत्र का काम करना बंद होने और मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की होने के तथ्य को अभियुक्तगण द्वारा कोई गम्भीर चुनौती नहीं दी गई है। प्रकरण में ऐसी कोई साक्ष्य अथवा आक्षेप नहीं है कि, मृतक दीपूसिंह की मृत्यु आत्महत्यात्मक अथवा दुर्घटनात्मक थी।

16— अभियोजन द्वारा जो उपरोक्त साक्ष्य प्रस्तुत की गई है और शव परीक्षण प्रतिवेदन प्र0पी0-15 में जो तथ्य सामने आये हैं उनके परिणामस्वरूप दीपूसिंह की मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की होना अभियोजन साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है। अतः अभियोजन अपनी साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि, घटना दिनांक को दीपूसिंह को कारित हुई चोटों के कारण मृत्यु हुई है जो कि, हत्यात्मक प्रकृति की है।

विचारणीय बिन्दु कं0-2 व 3:-

17— उपरोक्त दोनों विचारणीय प्रश्न एक-दूसरे से संप्रवृत्त होने से साक्ष्य अन्तर्वलित होने से प्रकरण में आई साक्ष्य की पुनर्वावृत्ति एवं विवेचना की सुगमता की दृष्टि से उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

18— अब प्रकरण में यह देखा जाना आवश्यक है कि, क्या अभियुक्तगण द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बलवा करते हुये मृतक दीपू चौहान की हत्या की गई। इस संदर्भ में जो अभियोजन द्वारा प्रत्यक्ष एवं चक्षुदर्शी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उसमें मृतक के भाई मोनू (अ0सा0-3) का कहना है कि, वह अभियुक्तगण को नहीं पहचानता। घटना 2007 की है उसे दिन, समय, महीना व तारीख याद नहीं है। घटना भिण्ड बस स्टैंड के पास हुई थी उसे बताया था कि, मृतक का किसी से झगड़ा हो गया था जिसमें उसे चोटें आई थीं। मृतक को डण्डों व घूसों से चोटें आई थीं। दीपू को किसने मारा उसे जानकारी नहीं है और कथन दिनांक तक भी उसे जानकारी नहीं थी कि, दीपू को किसने मार दिया है। अभियोजन कहानी अनुसार साक्षी अमरसिंह भदौरिया (अ0सा0-2) भी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है। इस साक्षी द्वारा अभियोजन कहानी का कोई समर्थन नहीं किया है और कथन किया है कि, वह अभियुक्तगण को नहीं जानता, उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है।

19— इन्द्रपालसिंह कुशवाह (अ0सा0-5) का कहना है कि, मृतक उसके मामा का लड़का था। वह अभियुक्त गोविंदसिंह व ओमकार सिंह को पहचानता है शेष अभियुक्तगण को नहीं पहचानता। कथन दिनांक से करीब 10 साल पहले वह मार्केट में था तब गाँव के लड़के पिकू ने उसे फोन करके बताया था कि, दीपू से झगड़ा हो गया है आप आ जाओ फिर वह थाने गया तब-तक रिपोर्ट हो चुकी थी। दीपू ने उसे झगड़े के बारे में कुछ नहीं बताया था। दीपू की मारपीट किसने की इस साक्षी को नहीं पता। जब वह गया तो दीपू बोल रहा था उसके बाद उसकी तबियत खराब हो गई।

20— प्रकरण में विवेचना के दौरान एकत्रित की गई साक्ष्य के संबंध में गौरीशंकर पाराशर (अ0सा0-7) द्वारा दिनांक 06-03-07 को पुलिस थाना देहात भिण्ड में फरियादी दीपू (मृतक) द्वारा अभियुक्त लक्ष्मण, सतेन्द्र, गोविन्द, ओमकार एवं कृष्णा फौजी के विरुद्ध सुभाष चौराहे के पास भिण्ड में मारपीट करने की रिपोर्ट लिखाई जाने पर उसने प्र0पी0-13 की अदम चैक रिपोर्ट लेखबद्ध की थी। दीपू ने उसे बताया था कि, उसके दाहिने हाथ में चोट होने से वह हस्ताक्षर नहीं कर पा रहा है जिसके कारण उसका अंगूठा लगवाया था और आहत दीपू को चिकित्सीय परीक्षण के लिये मेडीकल फार्म प्र0पी0-1 भरकर जिला अस्पताल भेजा था।

21— धर्मजीत राय (अ0सा0-11) का कहना है कि, वह दिनांक 07-03-07 को थाना प्रभारी देहात के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को इस साक्षी को प्र0आर0 गौरीशंकर द्वारा लिखित एक

अदम चैक एवं घायल दीपू चौहान का एक्सरे व मेडीकल रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। एक्सरे रिपोर्ट में दीपू को फ्रैक्चर होना उल्लेख किया गया था, संज्ञेय अपराध घटित होना पाये जाने पर इस साक्षी ने उक्त अदम चैक के आधार पर अप0कं0-53/07 अन्तर्गत धारा 325, 323, 504, 34 भा0दं0सं0 पंजीबद्ध कर अभियुक्त लक्ष्मणसिंह तोमर, सतेन्द्र, गोविन्द, ओमकार तथा फौजी के विरुद्ध प्र0पी0-17 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी। दिनांक 08-03-07 को साक्षी अमरसिंह का कथन प्र0पी0-4 एवं मोनू उर्फ धर्मेन्द्र का कथन प्र0पी0-5 उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। दिनांक 09-03-07 को मोनू उर्फ धर्मेन्द्र की निशादेही पर घटनास्थल का नक्शा मौका प्र0पी0-18 बनाया था। विवेचना के क्रम में दिनांक 12-03-07 को इन्द्रपालसिंह का कथन प्र0पी0-16 एवं रामनिवास सिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे और प्रकरण में अग्रिम विवेचना ए0एस0आई0 कुशवाह द्वारा की गई थी।

22- अभियोजन साक्षी रामप्रकाश (अ0सा0-13) की साक्ष्य अभियुक्त लक्ष्मणसिंह जिसकी विचारण के दौरान मृत्यु हो चुकी है, से हुई प्र0पी0-20 की जप्ती के संबंध में है।

23- रामस्वरूप कुशवाह (अ0सा0-10) जो कि, वर्ष 2007 में थाना देहात भिण्ड में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था, के द्वारा थाना देहात के अप0कं0-53/07 धारा 302, 325, 323, 504/34 भा0दं0सं0 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक 07-05-07 को अभियुक्त सतेन्द्रसिंह तोमर को प्र0पी0-11 के गिरफ्तारी पत्रक द्वारा गिरफ्तार किया था और उक्त दिनांक को उसके कब्जे से प्रकरण का आलाकत्ल एक हॉकी जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी0-12 बनाया था। दिनांक 03-06-07 को प्रकरण के अभियुक्त किशनसिंह राजावत को रोडवेज बस स्टैण्ड भिण्ड से गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0-16 बनाया था।

24- रामस्वरूप कुशवाह (अ0सा0-10) द्वारा जो प्र0पी0-11 एवं 12 की कार्यवाही करना बताया गया है उसके स्वतंत्र साक्षी संतोष (अ0सा0-9) द्वारा उसके कथन का समर्थन नहीं किया है। इस साक्षी का कहना है कि, उसके सामने पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। उसकी ब्रह्मपुरी भिण्ड में हेयर कटिंग की दुकान थी जहाँ से कोई व्यक्ति उसे लहार चुंगी जाने की बोलकर कोतवाली ले गया वहाँ पर पुलिस ने उससे कुछ कागजों पर हस्ताक्षर कराये थे जिसमें क्या लिखा था उसे न तो पढ़कर सुनाया और न ही उसे उनके बारे में कोई जानकारी है। पक्ष विरोधी घोषित किये जाने के बाद भी इस साक्षी ने अभियुक्त सतेन्द्रसिंह की गिरफ्तारी एवं उससे

हुई तथाकथित जप्ती के संबंध में अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। इसी प्रकार अजय प्रताप (अ0सा0-6) द्वारा भी अपने समक्ष प्र0पी0-11 व 12 की कार्यवाही होने के संबंध में अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है और इस साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित किया गया है। इसके बाद भी इस साक्षी द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है।

25— अभियोजन साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित किया गया है। पक्ष विरोधी घोषित किये जाने के बाद अमरसिंह (अ0सा0-2) द्वारा पुलिस को प्र0पी0-4 का ए से ए भाग का कथन जिसमें अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किया जाना उल्लेखित है, दिये जाने से इन्कार किया है और इस तथ्य से भी इन्कार किया है कि, अभियुक्तगण ने मृतक की हॉकी तथा लात-घूसों से मारपीट की थी तथा मनोज व दीपू को जमीन पर पटककर लात-घूसों से मारपीट की।

26— इसी प्रकार पक्ष विरोधी घोषित किये जाने के बाद मोनू (अ0सा0-3) द्वारा अपने आपको घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होने से इन्कार किया है और अपने समक्ष लक्ष्मणसिंह तोमर, सतेन्द्रसिंह, गोविंदसिंह, ओमकारसिंह निवासी ढोंचरा तथा कृष्णा फौजी द्वारा लाठियों से दीपू को जमीन पर पटककर मारपीट करना देखे जाने और उसके चिल्लाने पर अभियुक्तगण के भाग जाने के तथ्य से इन्कार किया है तथा इस तथ्य से भी इन्कार किया है कि, दीपू ने उसे बताया था कि, वह खड़ा था तभी अभियुक्तगण ने उससे घिसटकर मोटरसाईकिल निकाली थी तो उसने कहा था कि, तुम्हें दिखता नहीं है इसी बात पर अभियुक्तगण गालियाँ देने लगे और गालियाँ देने से मना करने पर लक्ष्मण व सतेन्द्र दौड़कर हॉकी ले आये तथा उसकी मारपीट करने लगे। सूचक प्रश्न के उत्तर में यह साक्षी स्वीकार करता है कि, जब उसने दीपू को देखा था तो उसके दोनों हाथ, बाये पैर के घुटने तथा पीठ में सूजन थी। सूचक प्रश्न के उत्तर में इस साक्षी ने पुनः अभियुक्तगण द्वारा दीपू की हॉकी व लात-घूसों से मारपीट करने के तथ्य के संबंध में अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है और पुलिस कथन प्र0पी0-5 का ए से ए भाग जिसमें अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करना उल्लेखित है, पुलिस को देने से इन्कार किया है।

27— इन्द्रपालसिंह कुशवाह (अ0सा0-5) को पक्ष विरोधी घोषित किये जाने के बाद भी इस साक्षी ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है और सूचक प्रश्न के उत्तर में इस तथ्य से इन्कार किया है कि, दीपू ने उसे भिण्ड अस्पताल में बताया था कि,

अभियुक्तगण द्वारा उसकी बगल से मोटरसाईकिल निकालने पर उसे रगड़ लगी थी जिस पर से लक्ष्मण, गोविंदसिंह, सतेन्द्र, ओमकार सिंह तथा कृष्णा फौजी ने उसकी हाँकी से मारपीट की थी। इस साक्षी ने अपने पुलिस कथन प्र0पी0-10 में ए से ए भाग का कथन जिसमें उपरोक्त तथ्य उल्लेखित हैं, देने से इन्कार किया है और अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है।

28— अभियोजन का प्रकरण मूलतः चक्षुदर्शी साक्षी अमरसिंह (अ0सा0-2) व मोनू (अ0सा0-3) की प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित था क्योंकि, प्र0पी0-13 के पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना में इन दोनों व्यक्तियों द्वारा घटना देखे जाने का उल्लेख किया गया है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि, मोनू (अ0सा0-3) मृतक का भाई है। इन दोनों साक्षियों द्वारा अभियोजन कहानी का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया गया है जिससे कि, प्रकरण में मृतक की मृत्यु को अभियुक्तगण के साथ जोड़ने के संबंध में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है।

29— अभियोजन साक्ष्य में उपरोक्तानुसार प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव होने के पश्चात् अभियोजन साक्ष्य में उपस्थित परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर विचार किया जाना आवश्यक है। अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियुक्त सतेन्द्रसिंह तोमर से जो आर्टिकल-ए का आलाकत्ल प्र0पी0-12 के जप्ती पत्रक के माध्यम से जप्त होना बताया गया है वह दिनांक 07-05-07 को अर्थात् घटना के लगभग 2 महीने बाद जप्त होना बताया है जो कि, पूर्णतः अस्वाभाविक प्रतीत होता है कि, घटना के इतने समय बाद भी अभियुक्त अपने साथ आलाकत्ल लिये धूम्रगा इसलिये रामस्वरूप कुशवाह (अ0सा0-10) द्वारा इस संबंध में दिया गया कथन एवं जप्ती पत्र प्र0पी0-12 की साक्ष्य अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई परिस्थिति निर्मित नहीं करती है।

30— अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क दिया गया है कि, अभियोजन द्वारा अपना प्रकरण मृत्यु पूर्व कथन से प्रमाणित किया है। इस संदर्भ में प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित है कि, अभियोजन कहानी अनुसार मृतक द्वारा इन्द्रपालसिंह (अ0सा0-5) को मौखिक मृत्यु पूर्व कथन देते हुये अभियुक्तगण द्वारा उसकी मारपीट करना बताया था किंतु इस साक्षी ने सूचक प्रश्न कण्डिका-3 में मृतक दीपूसिंह द्वारा उसे अभियुक्तगण द्वारा उसकी मारपीट करना बताया जाने से इन्कार किया है जिससे कि, मृतक द्वारा इन्द्रपालसिंह कुशवाह (अ0सा0-5) को दिये गये मौखिक मृत्यु पूर्व कथन की साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है।

31— अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि, घटना की पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना प्र0पी0-13 लेखबद्ध की गई थी और पुलिस द्वारा मृतक का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया जिसमें उसके फ्रैक्चर आया और इलाज के दौरान फरियादी दीपसिंह की मृत्यु हो गई इसलिये उसके द्वारा लिखाई गई पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना उसका मृत्यु पूर्व कथन माना जावेगा जिसमें अभियुक्तगण द्वारा उसकी मारपीट करना उल्लेखित है। इस तर्क के आधार पर अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा अपना प्रकरण प्रमाणित होना बताया है और अपने तर्क के समर्थन में न्याय दृष्टांत **तपिन्दरसिंह वि० पंजाब राज्य 1970 क्रि०ला०ज०-1415 एस०सी०** का आधार लिया है। इस तर्क के संदर्भ में यहाँ यह उल्लेखनीय है कि, प्रकरण में इस तथ्य में कोई विवाद नहीं है कि, घटना से लेकर मृतक की मृत्यु तक प्र0पी0-13 की पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना के अतिरिक्त मृतक का कोई कथन अभिलेख पर नहीं है, यद्यपि उपरोक्त पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना मृत्यु पूर्व कथन के रूप में लेखबद्ध नहीं की गई है और न ही उसमें आहत की मानसिक स्थिति का कोई उल्लेख है तथापि उपरोक्त न्याय दृष्टांत अनुसार प्र0पी0-13 की पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना मृतक के मृत्यु पूर्व कथन की श्रेणी का होना माना जा सकता है।

32— अब प्रकरण में यह देखा जाना आवश्यक है कि, प्रकरण में किसी अन्य प्रत्यक्ष एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अभाव में प्र0पी0-13 का दस्तावेज अपने आपमें अभियुक्तगण की दोषसिद्धि निर्धारित करने के लिये पर्याप्त है।

33— माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मृत्यु पूर्व कथन के संदर्भ में न्याय दृष्टांत **Sharda v. State of Rajasthan AIR 2010 SUPREME COURT 408** में यह अभिनिर्धारित किया है कि, (A) Evidence Act (1 of 1872), S.32 - DYING DECLARATION - MAXIMS - Dying declarations - Principle on which they are admitted in evidence is indicated in legal maxim, "Nemo moriturus praesumitur mentiri" - It implies that a man who is on death bed would not tell a lie to falsely implicate innocent person.

The principle on which dying declarations are admitted in evidence is indicated in legal maxim:

"Nemo moriturus praesumitur mentiri a man will not meet his Maker with a lie in his mouth." मृत्यु पूर्व कथन के साक्षिक मूल्य के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्याय

दृष्टांत P. V. Radhakrishna v. State of Karnataka AIR 2003 SUPREME COURT 2859 में यह अभिनिर्धारित किया है कि— (B) Evidence Act (1 of 1872), S.32 - Penal Code (45 of 1860), S.300 - DYING DECLARATION - Dying declaration - Can be sole basis for conviction - Since a person on death bed is in a situation so solemn and serene equal to obligation of oath - Requirement of oath and cross-examination also dispensed with for same reason - That apart, declarant victim being only eye-witness - Exclusion of his statement, may deflect ends of justice - Court, of course, has to be on guard that declaration was true and voluntary.

The situation in which a person is on deathbed is so solemn and serene when he is dying that the grave position in which he is placed, is the reason in law to accept veracity of his statement. It is for this reason the requirements of oath and cross-examination are dispensed with. Besides, should the dying declaration be excluded it will result in miscarriage of justice because the victim being generally the only eye-witness in a serious crime, the exclusion of the statement would leave the Court without a scrap of evidence. **Though a dying declaration is entitled to great weight, it is worthwhile to note that the accused has no power of cross-examination. Such a power is essential for eliciting the truth as an obligation of oath could be. This is the reason the Court also insists that the dying declaration should be of such a nature as to inspire full confidence of the Court in its correctness. The Court has to be on guard that the statement of deceased was not as a result of either tutoring, or prompting or a product of imagination. The Court must be further satisfied that the deceased was in fit state of mind after a clear opportunity to observe and identify the assailant. Once the Court is satisfied that the declaration was true and voluntary, undoubtedly, it can base its conviction without any further corroboration. It cannot be laid down as an absolute rule of law that the dying declaration cannot form the sole basis of conviction unless it is corroborated. The rule**

requiring corroboration is merely a rule of prudence. (Paras 12, 13)

34— माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मृत्यु पूर्व कथन के संदर्भ में जो उपरोक्त न्यायिक विधि प्रतिपादित की गई है उसके आलोक में प्रकरण के परिशीलन से उत्पन्न तथ्यों के अनुसार यहाँ यह स्पष्ट कर देना सुसंगत है कि, घटना दिनांक 06-03-07 को दोपहर 03:15 बजे होना बताई गई है और पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना प्र0पी0-13 16:30 बजे पंजीबद्ध की गई है तथा मृतक का चिकित्सीय परीक्षण प्र0पी0-2 उसी दिनांक को शाम 05:50 बजे हुआ है। दिनांक 08-03-07 को रात्रि 12:30 बजे फरियादी दीपू चौहान की मृत्यु हुई है। मृतक को चोटें होने एवं उसकी मृत्यु के मध्य की अवधि में मृतक का चिकित्सीय परीक्षण हुआ, उसे सर्जिकल वार्ड में भर्ती कराया गया जहाँ उसका एक्सरे परीक्षण भी हुआ और बाद में उसे ग्वालियर इलाज हेतु भी ले जाया गया है किंतु किसी भी चिकित्सक अथवा पुलिस अधिकारी द्वारा उसकी हालत गम्भीर होता देखते हुये उसका मृत्यु पूर्व कथन किसी चिकित्सक ने लेखबद्ध नहीं किया है और न ही किसी राजपत्रित अधिकारी/कार्यपालन मजिस्ट्रेट से उसका मृत्यु पूर्व कथन लेखबद्ध कराने का कोई प्रयास किया गया है। घटना से लेकर मृतक की मृत्यु होने तक लगभग 33 घण्टे की अवधि में उसका कोई राजपत्रित अधिकारी/कार्यपालन मजिस्ट्रेट अथवा चिकित्सक द्वारा मृत्यु पूर्व कथन लेख न किया जाना एक ऐसी परिस्थिति है जो कि, अभियोजन द्वारा स्पष्ट नहीं की गई है।

35— मृत्यु पूर्व कथन लेख करते समय कथन देने वाले की मानसिक स्थिति स्वस्थ होना आवश्यक है किंतु इस संदर्भ में पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना प्र0पी0-13 लेखबद्ध करने वाले पुलिस कर्मचारी गौरीशंकर पाराशर (अ0सा0-7) द्वारा अपने कथन में मृतक की तत्समय मानसिक स्थिति स्वस्थ होने के बारे में कोई न्यायालयीन कथन नहीं किया है और न ही इस संदर्भ में प्र0पी0-13 के दस्तावेज में कोई उल्लेख है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि, डॉ0 आर0एन0 राजौरिया (अ0सा0-1) के अनुसार चिकित्सीय परीक्षण के बाद शल्य चिकित्सीय कक्ष में मृतक अर्द्धमूर्छा अवस्था में था। मृतक का शव परीक्षण करने वाले साक्षी डॉ0 जे0एन0 सोनी (अ0सा0-8) के प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-6 में यह तथ्य आया है कि, मृतक के सिर में आई चोट लगने के पश्चात् वह बेहोश हो गया होगा इसलिये अभियोजन को यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना आवश्यक था कि, प्र0पी0-13 की पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना लिखाते समय आहत स्वस्थ मानसिक अवस्था में था। यह तथ्य इसलिये भी महत्वपूर्ण है कि, प्र0पी0-13 की पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य

अपराध की सूचना पर मृतक का अंगूठा निशानी होना बताया गया है। प्र0पी0-13 का दस्तावेज लेखबद्ध करने के बाद मृतक को पढ़कर सुनाया गया और उसके पश्चात् उसने अपना निशानी अंगूठा उस पर लगाया हो इस संदर्भ में गौरीशंकर पाराशर (अ0सा0-7) ने अपने न्यायालयीन कथन में स्पष्ट तौर पर नहीं बताया है। पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना लेख करने वाले गौरीशंकर पाराशर (अ0सा0-7) ने अपने सारवान न्यायालयीन कथन में आहत द्वारा बताये गये तथ्यों का विस्तृत उल्लेख नहीं किया है।

36— उपरोक्त सभी परिस्थितियों में प्रकरण में प्र0पी0-13 की पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना लिखाये जाने के समय मृतक की मानसिक स्थिति स्वस्थ होने का तथ्य अभियोजन कहानी में युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं है जो कि, प्र0पी0-13 के मृत्यु पूर्व कथन की विश्वसनीयता पर युक्तियुक्त प्रश्नचिन्ह लगाता है। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित न्याय दृष्टांत **Smt. Laxmi v. Om Prakash and others AIR 2001 SUPREME COURT 2383** अवलम्बनीय है जिसमें आहत की मानसिक स्थिति स्वस्थ होने की आवश्यकता के तथ्य के बारे में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि—**(A) Evidence Act (1 of 1872), S.32- Dying declaration - Reliability - Court should be satisfied that deceased was in fit state of mind and capable of making statement when dying declaration was made and or recorded.**

"Once the statement of the dying person and the evidence of the witnesses testifying to the same passes the test of careful scrutiny of the Courts, it becomes a very important and a reliable piece of evidence and if the Court is satisfied that the dying declaration is true and free from any embellishment such a dying declaration, by itself, can be sufficient for recording conviction even without looking for any corroboration" - **Is the statement of law summed up by this Court in Kundula Bala Subrahmanyam v. State of A.P., (1993) 2 SCC 684 : (1993 AIR SCW 1321). The Court added - such a statement, called the dying declaration, is relevant and admissible in evidence provided it has been made by the deceased while in a fit mental condition.** The above statement of law, by way of preamble to this judgment, has been necessitated as this appeal, putting in issue

acquittal of the accused respondents from a charge under Section 302/34, I.P.C. seeks reversal of the impugned judgment and invites this Court to record a finding of guilty based on the singular evidence of dying declaration made by the victim. The law is well settled; dying declaration is admissible in evidence. The admissibility is founded on principle of necessity. A dying declaration, if found reliable, can form the basis of conviction. A Court of facts is not excluded from acting upon an uncorroborated dying declaration for finding conviction. A dying declaration, as a piece of evidence, stands on the same footing as any other piece of evidence. It has to be judged and appreciated in the light of the surrounding circumstances and its weight determined by reference to the principles governing the weighing of evidence. It is, as if the maker of the dying declaration was present in the Court, making a statement, stating the facts contained in the declaration, with the difference that the declaration is not a statement on oath and the maker thereof cannot be subjected to cross-examination. If in a given case a particular dying declaration suffers from any infirmities, either of its own or as disclosed by other evidence adduced in the case or circumstances coming to its notice, the Court may as a rule of prudence look for corroboration and if the infirmities be such as render the dying declaration so infirm as to prick the conscience of the Court, the same may be refused to be accepted as forming safe basis for conviction. (Para-1)

One of the important tests of the reliability of the dying declaration is a finding arrived at by the **Court as to satisfaction that the deceased was in a fit state of mind and capable of making a statement at the point of time when the dying declaration purports to have been made and/or recorded.** The statement may be brief or longish. It is not the length of the statement but the fit state of mind of the victim to narrate the facts of occurrence which has relevance. If the Court finds that the capacity of the maker of the statement to narrate the facts was impaired or the Court entertains grave doubts whether the deceased was in a fit physical

and mental state to make the statement the Court may in the absence of corroborative evidence lending assurance to the contents of the declaration refuse to act on it." (Para28)

37— यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि, गौरीशंकर पाराशर (अ०सा०-7) द्वारा जो प्र०पी०-13 का दस्तावेज लेखबद्ध किया है उसमें मृतक द्वारा उसे सिर की कोई चोट होना नहीं बताया है। चिकित्सीय परीक्षण हेतु आवेदन एवं प्रतिवेदन प्र०पी०-2 में भी मृतक के सिर पर कोई चोट होना नहीं पाई गई है। मृतक का एकसरे डॉ० एस०सी० गुप्ता (अ०सा०-4) द्वारा किया गया है, उसमें भी अभियुक्त के सिर में कोई अस्थि भंग नहीं पाया गया है जब कि, डॉ० जे०एन० सोनी (अ०सा०-8) द्वारा मृतक के पैराईटल हड्डी के उभार के नीचे सामने की तरफ 6 से०मी० लम्बा अस्थि भंग पाया गया है जो अपने आपमें एक बड़ा अस्थि भंग है जो कि, पूर्व के दो चिकित्सीय परीक्षणों में दर्शित नहीं हुआ है। इस तथ्य को भी अभियोजन द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है जो कि, पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना में उल्लेखित तथ्यों से जुड़ी हुई एक और संदेहास्पद परिस्थिति है।

38— उपरोक्त विवेचन अनुसार अभिलेख पर उपलब्ध प्र०पी०-13 की पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना जिसे तर्क के दौरान अभियोजन द्वारा मृत्यु पूर्व कथन के रूप में संबोधित किया गया है वह पुलिस अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया गया है जिसमें उपरोक्त विसंगतियाँ उपस्थित हैं। पुलिस अधिकारी द्वारा लिखे गये मृत्यु पूर्व कथन के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **Dalip Singh and others v. State of Punjab AIR 1979 SUPREME COURT 1173** की कण्डिका-8 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि— 8. There were two dying declarations of Ram Singh one oral and the other written which was recorded by the Assistant Sub-Inspector of Police, P. W. 28 on 12-12-75. The oral dying declaration was made to P. W. 11 Tara Singh. Neither of the dying declarations was relied upon by the High Court because he had named Baldev Singh also. We may also add that although a dying declaration recorded by a Police Officer during the course of the investigation is admissible under Section 32 of the Indian Evidence Act in view of the exception provided in sub-section (2) of Section 162 of the Code of Criminal Procedure, 1973,

it is better to leave such dying declarations out of consideration until and unless the prosecution satisfies the court as to why it was not recorded by a Magistrate or by a Doctor. As observed by this Court in *Munnu Raja v. State of Madhya Pradesh* (1976) 2 SCR 764 : (AIR 1976 SC 2199) the practice of the Investigating Officer himself recording a dying declaration during the course of investigation ought not to be encouraged. We do not mean to suggest that such dying declarations are always untrustworthy, but, what we want to emphasize is that better and more reliable methods of recording a dying declaration of an injured person should be taken recourse to and the one recorded by the Police Officer may be relied upon if there was no time or facility available to the prosecution for adopting any better method. इसी न्यायिक विधि पर न्याय दृष्टांत **शेख रफीक वि० महाराष्ट्र राज्य ए०आई०आर०-2008 सु०को०-1362** भी अवलोकनीय है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पुलिस अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किये गये मृत्यु पूर्व कथन को इस आधार पर विश्वसनीय नहीं माना कि, कार्यपालन मजिस्ट्रेट उपलब्ध होने पर बुलाया नहीं गया और चिकित्सीय अधिकारी से आहत की मानसिक स्थिति स्वस्थ होने का प्रमाणपत्र नहीं लिया गया।

39— उपरोक्त न्याय दृष्टांत की न्यायिक विधि अनुसार इस प्रकरण में भी पुलिस के पास मृत्यु पूर्व कथन लेखबद्ध करने के उचित एवं प्रभावी साधन व समय उपलब्ध था किंतु उसके बावजूद भी ऐसा नहीं किया गया है न ही उस समय आहत की मानसिक स्थिति स्वस्थ होना दर्शित किया गया है। इन परिस्थितियों में प्र०पी०-13 की पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना इस प्रकृति का मृत्यु पूर्व कथन नहीं है जिसके एकल आधार पर बिना किसी अन्य सम्पुष्टि कारक साक्ष्य के अभियुक्तगण की दोषसिद्धि निर्धारित की जा सके। इन परिस्थितियों में अभियोजन साक्ष्य में परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ियाँ भी सम्पूर्ण रूप से जुड़कर सिर्फ और सिर्फ अभियुक्तगण की दोषिता की तरफ संकेत नहीं करती हैं।

40— अभियोजन का प्रकरण प्रत्यक्ष एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था। अभियोजन साक्ष्य में चक्षुदर्शी साक्षी अमरसिंह (अ०सा०-2), मोनू (अ०सा०-3) एवं इन्द्रपालसिंह (अ०सा०-5) द्वारा अपने समक्ष अभियुक्तगण का अवैध समूह के रूप में एकत्रित होकर दीपूसिंह की हत्या कारित करने के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में

बलवा करने और उस बलवे में मृतक दीपूसिंह की मारपीट कर चोट पहुँचाकर उसकी हत्या कारित करने का कोई कथन नहीं किया है, यहाँ-तक की उनकी साक्ष्य में अभियुक्तगण की घटनास्थल पर उपस्थिति भी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रही है। विवेचना के दौरान आलाकत्ल की जप्ती भी 2 महीने बाद की गई है। यह जप्ती भी युक्तियुक्त संदेह से परे अभियुक्त सतेन्द्रसिंह के विरुद्ध कोई परिस्थिति निर्मित नहीं करती है। अभियोजन द्वारा मृतक के मृत्यु पूर्व कथन के रूप में संबोधित पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना का दस्तावेज विसंगतियुक्त होकर अपने आपमें बिना किसी सम्पुष्टि के युक्तियुक्त संदेह से परे विश्वसनीय नहीं है। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों के संचयी प्रभाव से अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अभियुक्तगण पर आक्षेपित आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने के लिये पर्याप्त नहीं है। इस प्रकृति की साक्ष्य पर अभियुक्तगण की दोषसिद्धि निर्धारित करना सुरक्षित नहीं है। अतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करना होता है क्योंकि कि, संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो वह प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता।

41— विभिन्न चरणों में की गई साक्ष्य की उपरोक्त विवेचना एवं मूल्यांकन के आलोक में यह तो सिद्ध है कि, घटना दिनांक को आई चोटों से मृतक दीपूसिंह की हत्यात्मक प्रकृति की मृत्यु हुई है किंतु अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह सिद्ध नहीं कर पाया है कि, उक्त उपहतियों अभियुक्तगण के कृत्य का परिणाम थीं।

42— परिणामतः अभियुक्त सतेन्द्रसिंह पुत्र उम्मेद सिंह तोमर, किशनसिंह उर्फ कृष्णा फौजी पुत्र योगेन्द्र सिंह राजावत् एवं ओमकारसिंह पुत्र उम्मेद सिंह तोमर को भा0दं0सं0 की धारा 147 एवं 302/149 के आरोप से संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

43— अभियुक्तगण जमानत पर हैं अतः उनके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

44— अभियुक्त सतेन्द्रसिंह इस प्रकरण में दिनांक 07-05-07 से 30-06-08 एवं दिनांक 21-11-11 से 30-11-11 तक, अभियुक्त किशनसिंह उर्फ कृष्णा फौजी इस प्रकरण में दिनांक 04-06-07 से 12-09-07 एवं दिनांक 23-12-10 से दिनांक 09-03-11 तक एवं अभियुक्त ओमकारसिंह इस प्रकरण में दिनांक 04-07-07 से 14-11-07

एवं दिनांक 07-02-11 से दिनांक 30-03-11 तक निरोध में रहे हैं। अभियुक्तगण का धारा 428 दं0प्र0सं0 का प्रमाणपत्र तैयार किया जावे।

45- प्रकरण में सह अभियुक्त **गोविंदसिंह पुत्र उम्मेद सिंह तोमर** फरार है, अतः प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर टीप अंकित की जावे कि प्रकरण विनिष्ट न किया जावे। उक्त अभियुक्त का विचारण शेष रहने के कारण प्रकरण में जप्तशुदा मुद्देमाल का व्ययन का आदेश उसके उपस्थित होने एवं विचारण के पश्चात् प्रकरण के निराकरण के समय किया जावेगा।

दिनांक- 28 अक्टूबर 2017

(उमेश पाण्डव)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
भिण्ड (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)